उत्तर प्रदेश शासन

वन अनुभाग-2

संख्या-2154/14-2-2014-4(10)/2002

लखनऊ, दिनांक 07 जनवरी, 2015

अधिसूचना

भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16, सन् 1927) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल घोषणा करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है।

2- पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन राज्यपाल अग्रतर, वन बन्दोबस्तअधिकारी आगरा को उक्त वन भूमि के संबंध में वन बन्दोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

अनुसूची

क्र0सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	अगौती	शरीफपुर भैंसरौली	987 मि0	0.3590	उत्तर- गाटा संख्या 872 दक्षिण- गाटा संख्या 986 पूर्व- गाटा संख्या 987 भाग पश्चिम- गाटा संख्या 983. 985
2	बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	भवन बहादुर नगर (टाउन) (बी0बी0 नगर टाउन)	1967 क 1987	0.0180 0.5710	उत्तर- गाटा संख्या 1988 (सड़क) दक्षिण- गाटा संख्या 1985,1986 पूर्व- गाटा संख्या 1985, 2015 पश्चिम- गाटा संख्या 1856 (सड़क)
					योग	0.5890	
					कुल योग	**0.9480**	

आज्ञा से,

(वी0एन0 गर्ग)

प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in/go/intra